IJAER/Oct-Nov 2012 /Volume-1/Issue-3/Article No-24/ 315-317 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

समन्वित ग्रामीण विकास, कृषि एवं भूमण्डलीकरण

डॉ० कलीराम सैनी
शोध निर्देशक
भूगोल विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

निधि गुप्ता
शोधार्थी
भूगोल विभाग
सी०एम०जे० विश्वविद्यालय,
राय-भोई, जोरबाट, मेघालय।

औद्योगिक एवं सेवाक्षेत्र की बहुविधि प्रगति के बाद भी भारत में कृषि का आधारिक महत्व बना है। पीढ़ियों ने सदियों से कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं से अपना भरण-पोषण किया और इसे समृद्ध भी बनाया। भारत भूमि पर प्रकृति की उदारता तथा पीढ़ियों के अथक प्रयास ने समाज को भोजन, औषधि पेय, तिलहन और रेशेदार फसलों का सशक्त कवच उपलब्ध कराया। अति-समृद्धि वनस्पतिक, विविधता भारत की विशिष्टता है। वनस्पतिक विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक सम्पन्न विश्व के बारह स्थानों में से दो, उत्तर-पूर्व और पश्चिमी घाट, भारत में हैं। भारत कई फसलों का उद्‌गम स्थल रहा है। यहीं से इनका अन्य देशों के लिए प्रचार-प्रसार हुआ। कृषि प्रणाली के प्रति भारत की दृष्टि कभी भी व्यावसायिक नहीं अपितु मानवीय और सर्वजन हिताय रही है। कृषि भारत में एक जीवन दर्शन है, एक समृद्ध परम्परा है। कृषि ने स्वयं देश के आर्थिक व्यवहार, चिन्तन दृष्टिकोण और संस्कृति और दृढ़ता से लागू की जा रही है। आर्थिक क्रियाओं का भूमण्डलीकरण आज की सार्वत्रिक प्रवृत्ति है। भारत में यह पूर्ण निष्ठा और दृढ़ता से लागू की जा रही है। इसी क्रम में देश के कृषि क्षेत्र को भी उदार बनाया जा रहा है और इसमें भूमण्डलीकरण की नीतियाँ भी लागू की जा रही हैं।

कृषि के भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया उत्पादों का बाजार व्यापक करने, प्रौद्योगिकी और पूँजी-अन्तरण तथा प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों को शिथिल और समाप्त करने में मुख्यतः निहित है। कृषि उत्पादों का बाजार अधिक विस्तृत करने के लिए गैट के यूरूग्वे चक्र से विशेष प्रयास आरम्भ हुए और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद इसकी क्रियाविधि में दृढ़ता आयी। विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौता प्रावधान के अनुसार सदस्य देशों को अपना कृषि बाजार अन्य देशों के कृषि उत्पादों, प्रौद्योगिकी एवं पूँजी अन्तरण के लिए खोलना है। इस नीति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ कृषि उत्पादों के आयात पर प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबन्धों को क्रमशः समाप्त किया जा रहा है। कृषि सहायिकाओं में कमी आ रही है। कृषि क्षेत्रों में विदेशी पूँजी के अन्तरण हेतु अनुकूल दशायें बन रही हैं। अन्य देशों से कृषि प्रौद्योगिकी और आगतों का अन्तरण बढ़ रहा है। व्यापार नीति २००१ द्वारा कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया। विशिष्ट कृषि उत्पादों और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गयी थी। इन्हें कृषि निर्यातों के सन्दर्भ में प्रधान चालक के रूप में स्वीकार किया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी और दार्जिलिंग क्षेत्र में अनानास, उत्तरांचल के ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में लीची निर्यात हेतु विशेष कृषि निर्यात क्षेत्र बनाए गए हैं। पुणे के आस-पास फल तथा सब्जियों के लिए, पंजाब में सब्जियों के लिए, आम के लिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आस-पास तथा सिक्किम में अदरक के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तरांचल और सिक्किम में पुष्प निर्यात क्षेत्रों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। पेटेण्ट कानून में संशोधन होने से कृषि आगतों और उत्पादों का बाजार भी अधिकार उदार हो गया है। गेंहूँ, गेंहूँ उत्पाद, मोटे अनाज, मक्खन, गैर-बासमती चावल, दलहन के निर्यात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है ताकि इनका व्यापार बढ़ सके।

कृषि भारत का आधारभूत क्षेत्र है। कई वस्तुओं यथा चाय, जूट, तिलहन, काफी, समुद्र उत्पाद के सन्दर्भ में भारत को जलवायु और भू-संरचना सम्बन्धी विशिष्टता प्राप्त है। ऐसी दशा में भारत में निर्यात व्यापार कृषि प्रधान होना स्वाभाविक है। कृषि क्षेत्र के उदारीकरण के सन्दर्भ में भारत की दृष्टि कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार में अपेक्षाकृत अधिक अंश प्राप्त करने की है। कृषि उत्पादों के विश्व व्यापार में भारत का अंश १९९२ में मात्र ०.६६ प्रतिशत था जबकि कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार में यू०एस०ए० का अंश १९९२ में १०.५ प्रतिशत था। विश्व व्यापार संगठन, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है के प्रावधान कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार को स्वतन्त्र करने और कृषि वस्तुओं के आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्धों के समाप्ति की पुष्टि करता है। स्पष्टतः भारत यह चाहता है कि कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार पर भारत को अधिक अंश प्राप्त हो। यह बात कई बार दोहरायी गयी है कि कृषि व्यापार के उदारीकरण से भारत को लाभ होगा। निर्यात व्यापार में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। आधार यह लिया गया है कि विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अस्तित्व, कृषि प्रणाली का दीर्घकालीन अनुभव, सुदृढ़ फसल प्रणाली और कृषि आगमों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता आदि भारत को प्राकृतिक अधिमान्यता प्राप्त है। भारत में विश्व के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का ११.७ प्रतिशत भाग है और कृषि योग्य क्षेत्र की दृष्टि से यू०एस०ए० के बाद भारत सबसे बड़ा

देश है। यहाँ विश्व के कुल संचित क्षेत्र का लगभग २२ प्रतिशत भाग है। सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का प्रथम देश है। कई फसलों यथा गेंहूँ, धान, दलहन, सब्जी, फल, गन्ना, जूट, चाय के उत्पादन में भारत को श्रेष्ठता प्राप्त है। पशु सम्पदा और दूध उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है।

भारत के कुल आयातों में कृषि आयातों का अंश लगभग ५ प्रतिशत है। जबकि कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का अंश अधिक है। उदारीकरण से यह भी अनुमान है कि कृषि उत्पादों की घरेलू कीमतें सीमापार की ऊँची कीमतों के समान हो जायेंगी जिससे व्यापार की शर्तें कृषि के अनुकूल बनेंगी। अतः भारत को उदारीकरण से कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होगा। इससे कृषि में निजी और सार्वजनिक विनियोग बढ़ेगा। कृषि का व्यावसायीकरण और विविधीकरण होगा। कृषि उत्पादों का बाजार विस्तृत होने से फसल प्रारूप में परिवर्तन होगा। फसल संरचना व्यापारिक फसलों और उच्च अर्द्ध वाली फसलों की ओर उन्मुख होगी। खाद्यान्न फसलों में क्षेत्र कम होने से खाद्यान्न की कोई कमी आयातों से पूरी कर ली जायेगी। इन्हीं आधारों पर कृषि के भूमण्डलीकरण का स्वागत किया जा रहा है।

कृषि भूमण्डलीकरण के प्रभावों को कृषि विकास और कृषि उत्पादों की निर्यात वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। उदारीकरण के अब तक की अवधि में कृषि विकास के लिए आवश्यक अवस्थापनागत सुविधाओं में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। सिंचाई, शक्ति ग्रामीण सड़कें, प्राविधिक उन्नयन आदि से सम्बद्ध नवीन परिसम्पत्तियों का निर्माण उदारीकरण की अवधि में अन्यन्त कम हुआ है। वर्तमान कृषित क्षेत्र पर फसल सघनता की वृद्धि भी नाममात्र की रही है। वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १९९६-२००१ की अवधि में उच्चावचन सहित २०० मिलियन टन के आसपास ही बना रहा। निरपेक्ष स्थिरता की स्थिति बनी रही। वर्ष २००१-२००२ में खाद्यान्न उत्पादन लगभग २०७ मिलियन टन रहा जिसे एक सुधार माना जा सकता है। कृषि उत्पाद दूर अतीत से भारतीय निर्यात की मुख्य मदें रहीं। देश के कुल निर्यातों में कृषि निर्यातों का अंश लगभग १८ प्रतिशत है। सामुद्रिक उत्पाद चावल, चाय, काफी एवं मसाले निर्यात की प्रमुख मदें हैं परन्तु इनमें सामुद्रिक निर्यातों की प्रधानता है। हाल के वर्षों में यद्यपि मॉस, मॉस से बने पदार्थ, फल, सब्जियॉं, प्रसंस्करित फल और सब्जियों के निर्यात में बृद्धि हुई है। तथापि विदेशी विनिमय प्राप्त करने की दृष्टि से अभी अत्यन्त पीछे हैं। कृषि वस्तुओं के विश्व व्यापार में भारत का अंश अभी अत्यन्त कम है।

कृषि भूमण्डलीकरण की सफलता अभी तक कृषि उत्पादों के व्यापार में प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क प्रतिबन्धों को समाप्त करने और पश्चिमी कृषि प्रौद्योगिकी के अन्तरण तक सीमित है। वर्तमान दशाओं में भारतीय कृषि कई अन्य देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक सामर्थ्य कम है। विकसित देशों में जैव प्रौद्योगिकी जन्य बीजों की उच्च उत्पादन सामर्थ्य होती है। विकसित देशों में जैव प्रौद्योगिकी से तैयार किए गए बीजों का प्रयोग किया जाता है। जिसमें उत्पादन अधिक होता है। अनाज, दलहन, कपास आदि के सन्दर्भ में भारत में प्रतिहेक्टेअर उत्पादन यू०एस०ए० की तुलना में आधे से भी कम है। विकसित देशों में आधुनिक कृषि मशीनों का प्रयोग होता है। इनसे उत्पादन लागत में कमी आ जाती है। फलतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में घटने की प्रवृत्ति है जबकि भारतीय बाजार में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति है। ऐसी दशा में भारत अभी प्रतिस्पर्धी नहीं बन सका है। इसके अतिरिक्त विकसित देश उच्च सहायिका प्रदान कर कृषि को संरक्षण प्रदान करते हैं। वे सहायिका कम करने की बात करते हैं परन्तु ब्ल्यू बाक्र्स सपोर्ट और ग्रीन बॉक्स सपोर्ट के माध्यम से कृषि क्षेत्र को छदम् रूप से उच्च सहायिका प्रदान करते है। ब्ल्यू बाक्स सपोर्ट में न्यूनतम समर्थित कीमत और बाजार की कीमत में अन्तर की क्षतिपूर्ति हेतु दी जाने वाली राशि सम्मिलित है। ग्रीन बॉक्स सपोर्ट में पर्यावरणीय सहायता कार्यक्रम के माध्यम से दी जाने वाली सहायिका सम्मिलित होती है। भारत एवं अन्य विकासशील देश इस प्रकार की सहायिका नहीं दे पाते हैं। इस कारण भी भारतीय कृषि उत्पाद अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाते हैं। कई विकसित देश अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के हस्ताक्षकर्ता होते हुए भी उनके अनुपालन में भेदभाव करते हैं। कृषि उत्पादों के परस्पर व्यापार के सन्दर्भ में विकसित देश प्रशुल्क की दर नीची रखते हैं। जबकि विकासशील देशों में आयात के सन्दर्भ में वे प्रशुल्क दर अत्यन्त ऊँची कर देते हैं। इस कारण भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था का निर्यात अत्यन्त कम रह जाता है।

भूमण्डलीकरण सभी देशों के कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित नहीं करता है।वस्तुतः पैमाने की मितव्यतायें विनियोग की अविभाज्यतायें प्रौद्योगिकी अन्तराल और राजकीय नीतियों से बाजार की अपूर्णतायें बढ़ती है। इन कारणों से ही कई प्रसंस्करित उत्पादों के सन्दर्भ में कतिपय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। निगमीय कृषि प्रणाली सामान्य कृषक और असंगठित उत्पादकों को अस्तित्व की कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इससे कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धी बाजार न बनकर अल्पाधिकारीय बाजार बन रहा है। अल्पाधिकारीय बाजार की प्रभुता सम्पन्न फर्में उत्पादन लागत से बहुत ऊँची कीमतें बसूल रही है जिसका अनुकरण बाजार की अन्य फर्में भी कर रही है। इससे अन्तिम उपभोक्ताओं को एक ओर ऊँची कीमत देनी पड़ रही है और दूसरी ओर प्राथमिक कृषि उत्पादकों को अत्यन्त नीची कीमतें मिल रही है। कई कृषि उत्पादों के सन्दर्भ में हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता विश्व स्तर से कम है। कई विकसित देश कृषि उत्पादों को ऊँची निर्यात सहायिका और घरेलू सहायिका प्रदान करते हैं। इस कारण भारतीय कृषि उत्पाद लागत और कीमत की दृष्टि से विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी

नहीं हो पाते हैं। अतः कृषि व्यापार के उदारीकरण के बाद से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में समक्ष गुणवत्ता और उत्पादिता उन्नयन की नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। अब फुटकर बाजार तक विदेशी कृषि उत्पाद स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। डम्पिंग का भय तो बना ही है। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए भारत में व्यापक सम्भावनायें विद्यमान हैं। उत्पाद विविधीकरण और निर्यातोन्मुख उत्पादों की वृद्धि से कृषि निर्यात बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादों की निर्यात बढ़ाने के लिए नवीन बाजारों की खोज आवश्यक है। यू०एस०ए० और पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त अफ्रीका और एशिया के देशों से व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि प्रणाली को इस स्तर पर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए कि मॉग के अनुसार उत्पाद समायोजित किया जा सके। इसी प्रकार पैकिंग और रख-रखाब की उच्च गुणवत्ता वाली प्रविधि आवश्यक है। प्रक्रिया उद्योग वस्तु की उपादेयता बढ़ा देते हैं। प्रक्रिया उद्योगों का विकास आवश्यक है। निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए बन्दरगाहों और यातायात साधनों का विकास किया जाना आवश्यक है। सामान्यतः कृषि वस्तुओं के उत्पाद और निर्यातकर्ता निर्यात व्यापार से सम्बद्ध विविध जोखिम उठाने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सरकार की ओर से उन्हें जोखिम पूँजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कृषि क्षेत्र के भूमण्डलीकरण का दूरगामी प्रभाव देश की फसल विविधता पर पड़ रहा है। भारत में दीर्घकालिक से बहुफसल प्रणाली का चलन भी है। एक ही खेत में एक साथ कई फसलें, विभिन्न खेतों में एक फसल की अलग-अलग किस्में बोया जाना सामान्य था। सबके तैयार होने का समय अलग-अलग था और गुण धर्म अलग-अलग थे। फसलें बहुविधि थी और एक फसल की अनेकों किस्में थीं। बीजों की एक सुसम्पन्न श्रृंखला रही है। खेत बदलते ही बीज किस्म बदल जाती है। सबके पृथक स्वाद और गुण धर्म थे। संकर बीजों के चलन के बाद सदियों परीक्षित बहु फसल प्रणाली के स्थान पर एकल फसल प्रणाली चलन में आयी और स्थानीय किस्में लुप्त होने लगीं। यह प्रवृत्ति अब अधिक तीव्रं हो गयी हैं। फसल विविधता घट रही है। कई अति उपयोगी अनाज, कम समय में तैयार होने वाले अत्यन्म कम पोषक तत्व ग्रहण करने वाले, फसल प्रणाली से हटते जा रहे हैं। अभी तक कृषक अपनी उपज का प्रयोग बीज के लिए भी करते रहे हैं। समर्थ विविधता बनाए रखने और आवश्यकता पूर्ति के लिए परस्पर बीजों का अदल-बदल करते थे। अब पेटेण्ट प्रांप्त निगमों से प्रंचारित बीजों से तैयार की गयी फसल के उत्पादन का व्यावसायिक आधार पर बीज के रूप में विक्रय पर निषेध की स्थिति आ गयी है। भारत में अभी ८० प्रतिशत बीज अपनी फसल से या परस्पर अदल बदल से बीज प्राप्त करने पर स्वतः रोक हो जायेगी।

तथापि अपनी कृषि प्रणाली को अब विश्व अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखना अनिवार्य हो गया है। आर्थिक क्रियाओं का भूमण्डलीकरण अब एक विकल्प नहीं यथार्थ है। कृषि प्रणाली से देश के करोड़ों कृषकों को बचाना होगा। यह अवश्य है कि कोई भी देश अपनी परम्परागत कृषि प्रणाली से न तो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकता है और न ही कृषि-जन्य पदार्थों की अपनी घरेलू मॉग पूरा कर सकता है। इसलिए कृषि में नव प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्पादित वृद्धि के कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु सतत् कृषि विकास की दशायें बनाए रखना इन सबका मार्गदर्शी सिद्धान्त बना रहना चाहिए। इस सन्दर्भ में सामाजिक दृष्टिकोण आधारभूत है। लोग यह अनुभव करें कि समर्थ कृषि प्रणाली का संवर्धन और संरक्षण एक सामाजिक दायित्व है। समाज को अपना उपभोग ढॉचा आवश्यकता आधारित न बनाकर जरूरत आधारित बनाना होगा। शस्य सम्पदा युक्त उर्वर धरती आगामी पीढ़ी को हस्तान्तरित करना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है। यदि वर्तमान पश्चिमी उपभोगवादी प्रवृत्ति के ही हम अनुयायी बने रहें तो यह आगामी पीढ़ी के प्रति अपराध और क्रूरता होगी। कृषिगत अवस्थापनागत सुविधाओं का विकास, फसल सघनता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और मॉग के अनुरूप उत्पादन प्रवाह समायोजित करना कृषि की आवश्यकता है।

विश्वव्यापार संगठन के छठे मन्त्री स्तरीय सम्मेलन, हॉगकांग में यह घोषणा की गयी है कि विकसित देश कृषि उत्पाद के निर्यात पर दी जाने वाली सहायिका अगले आठ वर्षों में समाप्त कर दी जायेगी। इससे भारतीय कृषि उत्पादों का बाजार व्यापार और प्रतिस्पर्धी हो जायेगा। यदि विकसित देश कृषि पर समझौता के सभी प्रावधानों का समझौते के अनुसार अनुपालन करें तो भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में भारतीय कृषि की स्थिति अवश्य सुदृढ़ हो जायेगी परन्तु विकसित देश समझौता वार्ता में नए मुद्दे विशेषकर 'सिंगापुर मुद्दे' सम्मिलित करने के प्रति अधिक सजग रहते हैं और सम्पन्न हो चुके समझौतों के अनुपालन में उनकी रूचि कम रहती है जो भारत जैसे देशों के लिए हानिकारक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

१. कमल नयन काबराः 'भूमण्डलीकरण'।
२. शशिकान्त रायः 'आधुनिक विश्वः एक आयाम'।
३. थॉमस फ्राइडमैनः 'ग्लोबलाइजेशन द लेक्सस एण्ड ओलिक्ट्री'।
४. आर्थिक समीक्षाः 'भारत सरकार' २०१५-२०१६।
५. मैल्कम वाटर्स : 'ग्लोबलाइजेशन'।
6- आर०पी०दत्त : 'आज का भारत' नई दिल्ली-२०१५।